(102)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक म/अपील/नरसिंहपुर/आ०अ०/2017/2899 /2017 जिला–नरसिंहपुर

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला–धार (म.प्र.)

...... अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, जबलपुर (म.प्र.)

(3) जिला आबकारी अधिकारी जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)

(4) जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला – धार (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3573 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62(2)–सी के अधीन अपील।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/अपील/नरसिंहपुर/आ.अ./2017/2899

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-6-2019	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3573 में पारित आदेश दिनांक 10-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)11-12/321 दिनांक 9-2-2012 द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अपीलार्थी कम्पनी को जिला नरसिंहपुर के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदायका 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखे जाने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त, आबकारी संभागीय उड़नदस्ता जबलपुर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नरसिंहपुर देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार पर माह अप्रैल, 2012 से मार्च, 2015 तक की अवधि में कुल 5 दिवस एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3573 में दिनांक 10-7-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी स्टोरेज मद्यभाण्डागार नरसिंहपुर पर उपरोक्त अवधि में कुल 5 दिन भरी हुई बोतलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से 1,250/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 16,250/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, अतः	

अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता है, किन्तु कांच की बोतलों का प्रदाय फुटकर ठेकेदारों द्वारा नहीं उठाया जाता है, क्योंकि फुटकर ठेकेदार बाजार की मांग के अनुसार प्रदाय उठाते हैं । उपरोक्त स्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कांच की बोतलों में प्रदाय को अधिक दिनों तक नहीं रखा जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि यदि कांच की बोतलों में मदिरा की मांग नहीं है तो इसमें अपीलार्थी कम्पनी की कोई त्रुटि नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि प्रदाय क्षेत्रों में कांच की बोतलों में देशी मदिरा की मांग नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी कम्पनी द्वारा जिला धार में भी कांच की बोतलों में स्कंध रखा गया था, किन्तु मांग नहीं होने के कारण फुटकर ठेकेदारों द्वारा प्रदाय नहीं उठाया गया, जिस कारण स्कंध खराब हो गया और प्रदाय योग्य नहीं रह गई । जिला आबकारी अधिकारी द्वारा 1419 पेटी हटाकर वापिस आसवनी में भेजने के निर्देश दिये गये थे । यह भी कहा गया कि टेण्डर की शर्त क्रमांक 6 (II) के अनुसार फुटकर ठेकेदारों को मांग अनुसार ही प्रदाय किया जाता है, अपीलार्थी कम्पनी कांच की बोतलों में मदिरा का प्रदाय उठाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । तर्क में यह भी कहा गया कि न तो मदिरा प्रदाय संबंधी कोई शिकायत हुई है और न ही मदिरा प्रदाय विफल हुआ है । अतः अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का कोई उल्लंघन ही नहीं किया गया है, इसलिए नियम 12(1) के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किया जान विधि विपरीत है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी एवं शासन के मध्य संविदा है, जिसके तहत शासकीय मद्यभाण्डागारों में देशी मदिरा का प्रदाय किया जाता है और संविदा अधिनियम की धारा 73 व 74 में यह प्रावधान है कि यदि किसी पक्ष को कोई हानि होती है तो उसकी पूर्ति करायी जा सकती है । इस प्रकरण में शासन को कोई हानि हुई ही नहीं है और न ही शासन द्वारा साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा विधिवत उत्तर प्रस्तुत किया गया था, जिस पर बिना विचार किए आदेश पारित किया गया है, अतः अपीलार्थी कम्पनी पर अधिरोपित शास्ति अवैध एवं अनुचित होकर निरस्ती योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार नरसिंहपुर पर प्रश्नाधीन अवधि में निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जो कि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की

शर्त क्रमांक 3 का कोई उल्लंघन होकर नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिवत आदेश पारित किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि भले ही राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु निर्धारित न्यूनतम स्कंध रखना अनिवार्य है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागार नरसिंहपुर पर माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में कुल 5 दिन, एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखना अनिवार्य है । भले ही अपीलार्थी द्वारा स्टोरेज मद्य भाण्डागार में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखने से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है, जिसका पालन अपीलार्थी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) व सी.एस. 1 लायसेंस की शर्त क्रमांक 3 का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 15,000/- रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार नसिंहपुर में उपरोक्त अवधि में कुल 5 दिवस कांच की बोतलों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह नहीं रखने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 1,250/- रूपये अधिरोपित करते हुए कुल 16,250/- रूपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10-7-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष